कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कलेक्टोरेट इन्दौर,म0प्र0

(1)

प्रारूप–दो
देखिये नियम–3(4)
रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

दिनांक 11/7/2011

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक/61/2011

मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अर्न्तगत बनाये गये म0प्र0 ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण,निर्बन्धन एवं शर्ते) नियम 1999 के अधीन आवेदक बी0आर0 गोयल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 तर्फे डायरेक्टर, पता– 3–ए अग्रवाल नगर इन्दौर को एतद् व्दारा निम्नलिखित शर्तो के अध्ययीन कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है:–

1/ यह रजिस्ट्रीकरण ग्राम पंचायत क्षेत्र **बडिया कीमा** तक सीमित है ।

2/ प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी स्थापना के पूर्व सूचना कालोनाईजर को देना होगी ।

3/ प्रत्येक कालोनी के लिए विकास अनुमति/विकास कार्यो को प्रारंभ करने की अनुमति अलग से प्राप्त करना होगी ।

4/ मौके पर विकास एवं निर्माण करने के पूर्व इस कार्यालय से डायवर्सन आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

5/ मौके पर निर्माण एवं विकास करने के पूर्व इस कार्यालय से विकास अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

6/ इस रजिस्ट्रीकरण की वैधता 5 वर्ष की अवधि तक मान्य होगी।

7/ नगर तथा ग्राम निवेश विभाग इन्दौर से अभिन्यास स्वीकृत कराना होगा तथा अभिन्यास मे अभिलिखित शर्तो का पालन करना होगा ।

8/ विकास कार्य पूर्ण करने पर इस कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा ।

9/ उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा मे यह लायसेंस स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

मुद्रा

टीप– नियमानुसार कालोनी के विकास की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही कालोनी की स्थापना, इसका विकास कार्य तथा भूखण्डो/भवनों का विक्रय या विक्रय का करार वैध होगा।

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व इन्दौर

जावक क्रमांक/1042/री0इं0/का0सै0/2011
इन्दौर, दिनांक 11/7/2011

कार्यालय संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इन्दौर, म.प्र.

(2)

क्र./ /एसपी–462/11/नग्रानि/2011 इन्दौर, दिनांक

प्रति,

1. बी. आर. गोयल इन्फास्ट्रक्चर प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर
श्री गोपाल पिता श्री बालकृष्ण गोयल एवं
श्री बृजकिशोर पिता श्री बालकृष्ण गोयल
निवासी– 3–ए, अग्रवाल नगर, इन्दौर (म.प्र.)
2. श्री उमरावसिंह पिता श्री जगन्नाथ
3. श्री मानसिंग पिता श्री जगन्नाथ
निवासी– ग्राम मालीखेडी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

विषय : ग्राम मालीखेडी, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 185/1/3, 185/3/1, 185/4/1, 186/3/1, 185/5, 185/6, 185/8, 186/1, 186/2/2, 175/1/मिन–1, 176, 185/1ख, 185/7/1, 186/2/1, 185/2, 185/7/2, 177/1, 177/2 व 175/1/मिन–2 कुल रकबा 14.619 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगीक भूखण्डीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन बाबद्।

संदर्भ : आपका आवेदन दिनांक 16/08/2011.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में आवेदक 1. बी. आर. गोयल इन्फास्ट्रक्चर प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री गोपाल पिता श्री बालकृष्ण गोयल एवं श्री बृजकिशोर पिता श्री बालकृष्ण गोयल निवासी– 3–ए, अग्रवाल नगर, इन्दौर (म.प्र.), 2. श्री उमरावसिंह पिता श्री जगन्नाथ एवं 3. श्री मानसिंग पिता श्री जगन्नाथ, निवासी– ग्राम मालीखेडी, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा ग्राम मालीखेडी, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 185/1/3, 185/3/1, 185/4/1, 186/3/1, 185/5, 185/6, 185/8, 186/1, 186/2/2, 175/1/मिन–1, 176, 185/1ख, 185/7/1, 186/2/1, 185/2, 185/7/2, 177/1, 177/2 व 175/1/मिन–2 कुल रकबा 14.619 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगीक भूखण्डीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये है :–

1. निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र।
2. आवेदन शुल्क चालान क्र. 2 दिनांक 10/08/2011 राशि 2,37,560/–
3. खसरा बी–1, पी–2 वर्ष 2010–2011 एवं ऋण पुस्तिका।
4. शपथ पत्र क्रमांक 25AA 448142 दिनांक 08/08/2011
5. क्षतिपूर्ति पत्र क्रमांक N 832454 दिनांक 08/08/2011
6. रूपांकन मानचित्र

उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर सहायक मानचित्रकार द्वारा आवेदक की उपस्थिति में स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें स्थल रिक्त होना पाया गया है। प्रश्नाधीन भूमि इन्दौर विकास योजना 2021 के निवेश क्षेत्र के अन्दर स्थित है। प्रश्नाधीन स्थल को दक्षिण दिशा में स्थित 60.0 मीटर चौडे वर्तमान इन्दौर–नेमावर मार्ग (एन.एच.–59) से पहुंच उपलब्ध है। प्रश्नाधीन भूमि इन्दौर विकास योजना 2021 में भूमि उपयोग प्रस्तावित औद्योगिक एवं मार्ग निर्दिष्ट है।

अविरत.....2

उपरोक्त दस्तावेजो एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियमों/प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण का परीक्षण सहायक मानचित्रकार के द्वारा किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर 1. वी आर गोयल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री गोपाल पिता श्री बालकृष्ण गोयल एवं श्री बृजकिशोर पिता श्री बालकृष्ण गोयल 2. श्री उमरावसिंह पिता श्री जगन्नाथ एवं 3. श्री मानसिंग पिता श्री जगन्नाथ को ग्राम मालीखेडी, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 185/1/3, 186/3/1, 185/4/1, 186/3/1, 185/5, 185/6, 185/8, 186/1, 186/2/2, 175/1/मिन–1, 176, 185/1ख, 185/7/1, 186/2/1, 185/2, 185/7/2, 177/1, 177/2 व 175/1/मिन–2 कुल रकबा 14.619 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगीक भूखण्डीय विकास हेतु संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27(1) एवं 2(5) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :–
   - अ. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172
   - ब. म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनॉईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998
   - स. अन्य किसी नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा अनिवार्य हो तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
   - द. राष्ट्रीय/राजकीय राजमार्ग से अनापत्ति/अनुमति यदि आवश्यक हो तो।

2. म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार समस्त आधार भूत सुविधाओं जैसे जल प्रदाय व्यवस्था, जल मल निकासी की व्यवस्था का विकास पूर्ण कर विकास पूर्णता का प्रमाण–पत्र आवेदक भूमि स्वामी (कॉलोनाईजर) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

3. म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1999 के तहत भूखण्डीय विकास के पूर्व कॉलोनाईजर का लाईसेंस प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा अतः सभी नियमों का पालन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय द्वारा सुनिश्चित करने के पश्चात् ही सक्षम प्राधिकारी (राजस्व) द्वारा विकास के कार्य की अनुमति प्रदान की जावेगी।

4. म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1999 के प्रावधानों के नियमानुसार बाह्य विकास शुल्क, पर्यवेक्षक शुल्क एवं अन्य शुल्क जमा कराने के पश्चात ही विकास की अनुमति प्रदान की जावें।

5. यह अनुमति प्राप्त होने के दिनांक से 3 वर्ष तक वैध रहेगी। तत्पश्चात् दी गई अनुज्ञा स्वतः व्यपगत मानी जावेगी।

6. मार्ग विस्तार अन्तर्गत आने वाली भूमि का कब्जा बिना मुआवजों के इन्दौर विकास प्राधिकरण स्थानीय निकाय/कलेक्टर कार्यालय अथवा मार्ग विकास की क्रियान्वयन संस्था को सौंपना होगा, जिसके विरूद्ध आवेदक को म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 61, फुटनोट (1) अनुसार अतिरिक्त एफ.ए.आर. की पात्रता होगी।

अविरत...3

18. प्रश्नाधीन भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित इन्दौर–नेमावर मार्ग की चौड़ाई विकास योजना 2021 अनुसार 60.0 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 30.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु खुली छोड़ी जाना आवश्यक होगी।

यह अनुज्ञा प्रारंभिक स्वरूप की अनुज्ञा है, जिसे स्थल पर ग्राम पटवारी एवं कार्यालयीन कर्मचारियों की उपस्थिति में सत्यापन के पश्चात् ही इस आधार पर भू–व्यपवर्तन विकास की अनुज्ञा, भवन निर्माण अनुज्ञा दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त इस अनुज्ञा के आधार पर प्रस्तावित विकास/निर्माण कार्य का प्रचार प्रसार विक्रय प्रयोजन की दृष्टि से नहीं किया जा सकेगा।

20. किसी भी प्रकार के भू–स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद होने पर या दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या उक्त ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहित (रिव्होक) कर दी जावेगी।

संलग्न– अनुमोदित मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर म.प्र.

इन्दौर, दिनांक 5/11/2011

पृ.क्र./ 7610 /एस.पी.–462/11/नग्रानि/2011/

प्रतिलिपि –

1. अनुविभागीय अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, यदि प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस प्रारंभिक अनुमति के आधार पर कोई कार्यवाही न करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ–पंजीयक, पंजीयन कार्यालय, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सचिव ग्राम पंचायत, पालीखेड़ी जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. नस्तीबद्ध कापी।

संलग्न– समस्त के साथ एक मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर म.प्र.

पश्चिमी भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित इन्दौर–नेमावर मार्ग की सीमा[illegible] ... अनुसार 60.0 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 30.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ी जाना आवश्यक होगी।

यह अनुज्ञा प्रारंभिक स्वरूप की अनुज्ञा है, जिसे स्थल पर ग्राम पटवारी एवं कार्यालयीन कर्मचारियों की उपस्थिति में सत्यापन के पश्चात् ही इस आधार पर भू–व्यपवर्तन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इस अनुज्ञा के आधार पर अनुज्ञा भवन निर्माण अनुज्ञा दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त इस अनुज्ञा के आधार पर प्रस्तावित विकास / निर्माण कार्य का प्रचार प्रसार विक्रय प्रयोजन की दृष्टि से नहीं किया जा सकेगा।

20. किसी भी प्रकार के भू–स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद होने पर या दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या उक्त ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहित (रिवोक) कर दी जावेगी।

लग्न– अनुमोदित मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर म.प्र.

इन्दौर, दिनांक 5/11/2011

क्र./ 7610 /एस.पी.–462/11/नग्रानि/2011/

प्रतिलिपि –

1. अनुविभागीय अधिकारी / सक्षम प्राधिकारी, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, यदि प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद न्यायालय में प्रचलन में हो तो इस प्रारंभिक अनुमति के आधार पर कोई कार्यवाही न करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ–पंजीयक, पंजीयन कार्यालय, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सरपंच ग्राम पंचायत, मालीखेड़ी जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. [illegible] जानेगी।

ORT

PORT

Y

18. प्रश्नाधीन भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित इन्दौर-नेमावर मार्ग की चौड़ाई विकास योजना 2021 अनुसार 60.0 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 30.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छूटी छोड़ी जाना आवश्यक होगी।

19. यह अनुज्ञा प्रारंभिक स्वरूप की अनुज्ञा है, जिसे स्थल पर ग्राम पटवारी एवं कार्यालयीन कर्मचारियों की उपस्थिति में सत्यापन के पश्चात ही इस आधार पर भू-व्यपवर्तन किया जा सकेगा एवं अनुज्ञा भवन निर्माण अनुज्ञा दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त इस अनुज्ञा के आधार पर प्रस्तावित विकास/निर्माण कार्यों का प्रचार प्रसार किसी प्रयोजन की दृष्टि से नहीं किया जा सकेगा।

20. किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद होने पर या दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या उक्त ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहित (रिवोक) कर दी जावेगी।

संलग्न-- अनुमोदित मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर म.प्र.

इन्दौर, दिनांक 5/11/2011

पृ.क्र./ 7607 /एस.पी.-462/11/नग्रानि/2011/

प्रतिलिपि --

1. अनुविभागीय अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित. यदि प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस प्रारंभिक अनुमति के आधार पर कोई कार्यवाही न करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ-पंजीयक, पंजीयन कार्यालय, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सरपंच ग्राम पंचायत, मालीखेड़ी जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आवेदक -- कम्पनी।

संलग्न-- समस्त के साथ एक मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर म.प्र.